न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री विश्राम मीना, आई.ए.एस

अपील संख्याः 4/2004 अन्तर्गत राजस्थान वन अधिनियम 1953
GCMS No. 2004/00003

1. राजस्थान सरकार जरिये उपवन संरक्षक इंगानप छतरगढ़।

—— अपीलान्ट

बनाम

1. पूरणराम पुत्र श्री दयालाराम जाति नायक साकिन चक 9 पीबी तहसील पूगल जिला बीकानेर।
2. वन बंदोबस्त अधिकारी, बीकानेर।

—— रेस्पोडेंट्स

उपस्थितः श्री राजकीय अभिभाषक — अभिभाषक अपीलांट

निर्णय

दिनांक 23.03.2026

यह अपील राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 22 के अन्तर्गत न्यायालय जिला कलक्टर, बीकानेर का आदेश दिनांक 31.03.2003 एवं न्यायालय वन बंदोबस्त अधिकारी का आदेश दिनांक 28.12.2001 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– वादग्रस्त भूमि चक 9 पीबी के मुरब्बा नंबर 187/8 के किला नंबर 1 ता 14 व 18 ता 22 की कुल 19 बीघा भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम खातेदारी अभिलिखित भूमि है। वन विभाग को आयुक्त उपनिवेशन बीकानेर के आदेश क्रमांक 7024 दिनांक 12.05.77 से ही आवंटित हैं। मुरब्ब नंबर 187/8 चक 5 बीएलबी अन्य भूमि के साथ रक्षित वन घोषित करने के विचार स्वरूप राज्य सरकार ने इसकी प्रथम विज्ञप्ति दिनांक 13.02.1986 को जारी कर दिनांक 21.02.1994 को राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित कर मुरब्बे के समस्त 25 बीघा भूमि आयुक्त उपनिवेशन बीकानेर के आदेश क्रमांक 7024 दिनांक 12.05.1977 से वन विभाग को विधिवत आवंटित एवं कब्जा प्राप्त शुदा भूमि है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय बन्दोबस्त अधिकारी बीकानेर के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अधीनस्थ न्यायालय बन्दोबस्त अधिकारी बीकानेर ने अपने निर्णय दिनांक 28.12.

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

2001 द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आंवटित भूमि चक 9 पीबी मु.न 187/8 किला नंबर 1 ता 14, 18 ता 22 कुल 19 बीघा भूमि को वन क्षेत्र 5 बीएलआर से पृथक किये जाने के आदेश पारित कर दिए। अधीनस्थ न्यायालय बन्दोबस्त अधिकारी बीकानेर ने अपने निर्णय दिनांक 28.12.2001 के विरूद्ध अपीलांट ने अधिनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर बीकानेर के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अधिनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर बीकानेर ने अपने निर्णय दिनांक 30.03. 2003 द्वारा अपील आंशिक स्वीकार करते हुए अपीलांट को निर्देश जारी किया कि इस जमीन के बराबर इस क्षेत्र की ऐसी आराजीराम बंजर भूमि जो चारागाह एवं वन विकास के प्रयोजन के लिए उपयोगी सिद्ध हो सके के प्रस्ताव तैयार कर आवंटन करवाए जाने हेतु इस क्षेत्र के संबंधित आवंटन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, बीकानेर के उक्त आदेश दिनांक 31.03.2003 से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय अपील में प्रस्तुत की।

2— विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया है कि चक 5 बीएलडी हाल 9 पीबी के मुरब्बा नंबर 187/8 की समस्त 25 बीघा भूमि वन विभाग जरिये उप वन सरंक्षम छतरगढ़ को आयुक्त उपनिवेशन बीकानेर के आवंटन आदेश दिनांक 12.05.1977 से चक 5 बीएलडी में कुल आवंटित भूमि 1275 बीघा के साथ विधिवत आवंटित भूमि है। राजकीय रिकॉर्ड में वन भूमि के रूप में अभिलेखित भूमि पर केन्द्रीय कानून वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के प्रावधान लागू होते है। जिसके प्रावधान अनुसार वन भूमि का बिना केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति के गैर–वानिकी उपयोग विधि विरूद्ध हैं चुकि उक्त भूमि भी राजकीय रिकॉर्ड में वन भूमि है अतः इस पर भी उक्त अधिनियम के प्रावधान लागू होते है। अतः उक्त भूमि पर गैर वानिकी उपयोग हेतु रेस्पोडेन्ट के हक में किया गया आदेश यथा आवंटन कब्जा काश्त राजस्व रिकॉर्ड में अंकन इत्यादि विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त योग्य है। उच्चतम न्यायालय ने टीएन गोद्धावर्मन बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य के निर्णय दिनांक 12. 12.1996 में निर्देश दिये गये है कि कोई भी भूमि जो राजकीय रिकॉर्ड में वन भूमि के रूप में अंकित है। चाहे उसका कोई भी वर्गीकरण हो एवं किसी के स्वामित्व में हो उस पर केन्द्रीय कानून वन(संरक्षण) अधिनियम 1980 के समस्त प्रावधान लागू होगें। ऐसा कोई विधिक आधार या दस्तावेज साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह साबित होता हो कि वन विभाग का उक्त भूमि से आवंटन निरस्त

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

हो चुका हो तथा वन विभाग द्वारा उक्त भूमि का कब्जा वापस दे दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने वन विभाग की और से उक्त भूमि के संबंध में पूर्ण पक्ष प्रस्तुत करने का समूचित अवसर नही देकर राज्य हित के अनदेखी करते हुए वनखण्ड से अलग करने का एकतरफा निर्णय कानूनी गलती की है। वन विभाग को उक्त भूमि आयुक्त उपनिवेशन बीकानेर के आदेश क्रमांक 7024 दिनांक 12.05.77 से विधिवत आंवटित एवं कब्जा शुदा भूमि हैं जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी बाद की है इस प्रकार निर्णय जैर अपील में बाद की खातेदारी सनद को बिना वैधता एवं सत्यता की पूर्ण जांच के मान्यता देकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय निर्णय दिनांक 28.12.2001 निरस्त किया जावे आदेश दिनांक 31.03.2003 में जो निर्देश दिये गये है उन्हे निरस्त करते हुए रेस्पोडेन्ट को आवंटन अधिकारी को दरखास्त पेश कर अन्यत्र भूमि अगर वह पात्र है तो आवंटन करने के निर्देश प्रदान करते हुए निगरानी स्वीकार फरमाई जावे।

3— हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज, अधीनस्थ न्यायालय के उपलब्ध अभिलेख का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया तथा दौराने बहस उभय पक्ष पर मनन किया। चक 5 बीएलडी हाल 9 पीबी के मुरब्बा नंबर 187/8 की समस्त 25 बीघा भूमि वन विभाग जरिये उप वन संरक्षक छतरगढ़ को आयुक्त उपनिवेशन बीकानेर के आवंटन आदेश दिनांक 12.05.1977 से चक 5 बीएलडी में कुल आवंटित भूमि 1275 बीघा के साथ विधिवत आवंटित भूमि है। पत्रावली अवलोकन से साबित होता है कि वन विभाग का उक्त आवंटन निरस्त होने का कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है और केन्द्रीय कानून वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा 2 के प्रावधान के अनुसार वानिकी क्षेत्र को गैर वानिकी कार्य बिना केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति से नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर बीकानेर के आदेश दिनांक 31.03.2003 एवं अधीनस्थ न्यायालय वन बंदोबस्त अधिकारी का आदेश दिनांक 28.12.2001 पारित करने में केन्द्रीय कानून वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के प्रावधानों की पालना नही की गई। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर बीकानेर के आदेश दिनांक 31.03.2003 एवं अधीनस्थ न्यायालय वन बंदोबस्त अधिकारी का आदेश दिनांक 28.12.2001 उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर बीकानेर के आदेश दिनांक 31.03.2003 एवं अधीनस्थ न्यायालय वन बंदोबस्त

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

अधिकारी के आदेश दिनांक 28.12.2001 निरस्त किया जाता है एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अन्यत्र भूमि आवंटन का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जावे तो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की पात्रता की जांच करते हुए अन्यत्र भूमि नियमानुसार आवंटन की जावें।

4– तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 23.03.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर